भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

INDIA

BIHAR

613068

2. लेखकारीगण का नाम एवं पूरा पता :-

1. श्री राणा सत्येन्द्र सिंह
2. श्री अजय सिंह
3. श्री संजय कुमार सिंह तीनों के पिता स्व0 नन्द लाल सिंह, प्रथम पक्ष
4. श्री अरुण कुमार सिंह
5. श्री राकेश सिंह
6. श्री अमित प्रताप सिंह तीनों के पिता स्व0 राम नरेश सिंह, द्वितीय पक्ष

सभी का निवास स्थान- नासरीगंज, थाना- दानापुर, जिला- पटना, भारतीय नागरिक।

Scanned by CamScanner

२. लेख्यधारी :-

आपस में एक दुसरे के पक्ष में।

३. लेख्य प्रकार :-

यादद्दास्त बंटवारानामा यानि पारिवारिक व्यवस्था पत्र। (Deed of Partition)।

४. मूल्यांकन :-

— XX —

५. सम्पत्ति का विवरण :-

जमीमा नं0 ।

जो जायदाद बंटकर प्रथम पक्ष श्री राणा सत्येन्द्र सिंह वगैरह को अपने पट्टीदार से बंटकर मिला वो हक हासिल हुआ। चाहिए के बंटकर मिले सम्पति को जिस-जिस मसरफ में लाना चाहें लावेंगे इसमें द्वितीय पक्ष को आपत्ति नहीं है नहीं होगा।

मवाजी 15 कट्ठा 15 धुर 6 धुरकी (पन्द्रह कट्ठा पन्द्रह धुर छः धुरकी) भूमि परती आवासीय हकियत रैयती कायमी नगदी वाके मौजा- **सिकन्दरपुर**, परगना- फुलवारी, थाना वो सब रजिस्ट्री दानापुर, सदर रजिस्ट्री वो जिला- पटना, जिसका थाना नं0- 17, जिसका वार्षिक लगान मो0 10/- रूपया अलावे शेष बजमिंदारी विहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर वाके है। जमाबंदी नं0- 5722 एवं 5234 है।

खाता नं0	प्लौट नं0	एराजी
129	304	14.4 डीसमल

Scanned by CamScanner

"चौहदी"

उत्तर :- रोड ।
दक्षिण :- प्लॉट नं0 307
पूरब :- द्वितीय पक्ष अरूण कुमार सिंह वगैरह ।
पश्चिम :- प्लौट नं0 311

खाता नं0	प्लौट नं0	एराजी
129	311	10.2 डीसमल

"चौहदी"

उत्तर :- रोड ।
दक्षिण :- देवन्ती देवी ।
पूरब :- द्वितीय पक्ष अरूण कुमार सिंह वगैरह ।
पश्चिम :- प्लौट नं0 310 वो 312 शिव शरण सिंह ।

खाता नं0	प्लौट नं0	एराजी
129	312	15.178 डीसमल

"चौहदी"

उत्तर :- धर्मशाला ।
दक्षिण :- प्लौट नं0- 310
पूरब :- द्वितीय पक्ष अरूण कुमार सिंह वगैरह ।
पश्चिम :- प्लौट नं0 313 काशी साव वगैरह ।

खाता नं0	प्लौट नं0	एराजी
147	307	9.56 डीसमल

"चौहदी"

उत्तर :- प्लौट नं0 304
दक्षिण :- देवन्ती देवी ।
पूरब :- द्वितीय पक्ष अरूण कुमार सिंह वगैरह ।
पश्चिम :- प्लौट नं0 311

नोट:- यह कि प्रथम पक्ष के प्रत्येक सदस्यों को 5 कट्ठा 5 धुर 2 धुरकी हिस्सा मिला है।

Scanned by CamScanner

जमीमा नं। 1

जो जायदाद बंटकर द्वितीय पक्ष श्री अरूण कुमार सिंह वगैरह को अपने पट्टीदार से बंटकर मिला वो हक हासिल हुआ। चाहिए के बंटकर मिले सम्पति को जिस-जिस मसरफ में लाना चाहें लावेंगे इसमें द्वितीय पक्ष को आपत्ति नहीं है नहीं होगा।

मवाजी 10 कट्ठा 8 धुर 7 धुरकी (दस कट्ठा आठ धुर सात धुरकी) भूमि परती आवासीय हकियत रैयती कायमी नगदी वाके मौजा- सिकन्दरपुर, परगना- फुलवारी, थाना वो सब रजिस्ट्री दानापुर, सदर रजिस्ट्री वो जिला- पटना, जिसका थाना नं0- 17. जिसका वार्षिक लगान मो0 10/- रूपया अलावे शेष बजमिंदारी बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर वाके है। जमाबंदी नं0- 5722 एवं 5234 है।

खाता नं0	प्लौट नं0	एराजी
129	304	9.6 डीसमल

"चौहदी"

उत्तर :- रोड ।
दक्षिण :- प्लौट नं0 307
पूरब :- प्लौट नं0 302
पश्चिम :- प्रथम पक्ष राणा सत्येन्द्र सिंह वगैरह ।

खाता नं0	प्लौट नं0	एराजी
129	311	6.8 डीसमल

"चौहदी"

उत्तर :- रोड ।
दक्षिण :- देवन्ती देवी ।
पूरब :- प्रथम पक्ष राणा सत्येन्द्र सिंह वगैरह ।
पश्चिम :- प्लौट नं0- 310 राणा सत्येन्द्र सिंह वगैरह ।

Scanned by CamScanner

खाता नं0	प्लौट नं0	एरजी
129	312	0.825 डीसमल

"चौहदी"

उत्तर :- शिव शरण सिंह ।
दक्षिण :- प्लौट नं0 310
पूरब :- प्रथम पक्ष राणा सत्येन्द्र सिंह वगैरह ।
पश्चिम :- प्रथम पक्ष राणा सत्येन्द्र सिंह वगैरह ।

खाता नं0	प्लौट नं0	एरजी
147	307	6.376 डीसमल

"चौहदी"

उत्तर :- प्लौट नं0- 304
दक्षिण :- मीना देवी ।
पूरब :- केदारनाथ सिंह वगैरह ।
पश्चिम :- प्रथम पक्ष राणा सत्येन्द्र सिंह वगैरह ।

नोट:- यह कि द्वितीय पक्ष के प्रत्येक सदस्यों को 3 कट्ठा 9 धुर 9 धुरकी हिस्सा मिला है।

"संदर्भ"

हकियत यह है कि खाना नं0 5 में वर्णित सम्पति लेख्यकारी नं0 1 से 3 के दादी स्व0 पातो देवी पति स्व0 राजनारायण सिंह ने दिनांक 01.12.1961 ई0 को नविस्ते गोखुल प्रसाद गुप्ता पिता स्व0 बुद्धन साव साकिन- बीबीगंज, थाना- दानापुर, जिला- पटना से मवाजी 66 डीसमल जमीन बैय खरीद किये हैं। जिसका वसिका नं0 5460 है एवं लेख्यकारी नं0 4 से 6 के दादी स्व0 भगवती देवी पति स्व0 शोभा सिंह ने दिनांक 27.06.1966 ई0 को नविस्ते मोस्मात भुरी कुअँर पति स्व0 रामस्वरूप भगत पुत्री नथुनी भगत से मवाजी 5 कट्ठा 2 धुर जमीन अलग-अलग वसिका में खरीद किया है। जिसका वसिका नं0 4404 है। लेख्यकारीगण अपने दादा-दादी एवं माता-पिता के स्वर्गवास के बाद इजमालन खाना नं0 5 में वर्णित सम्पति पर काबिज दाखिल मालिक मुस्तकिल होकर वो रहकर हर प्रकार से

Scanned by CamScanner

उपयोग वो उपभोग करते चले आ रहे हैं या है और खाना नं0 2 में वर्णित सम्पति हर प्रकार के अगड़ा अंडार से पाक साफ वो ऋण मुक्त सम्पति है।

यह कि लेख्यकारीगण का परिवार बड़ा हो गया है और दोनों अपना-अपना कार्य अलग-अलग करते हैं। चुंकि इजमाल में सम्पति रहने के वजह से एक साथ रहने सहने इंतजाम बाद करने में काफी कठिनाई होती है। इस वजहकर लेख्यकारीगण ने आपस में बैठकर एक राय एक मत होकर अलग अलग जमीमा में बंट गये।

यह कि जमीमा नं0 1 की सम्पति प्रथम पक्ष को खास हक वो हिस्सा में मिला वो जमीमा नं0 2 की सम्पति द्वितीय पक्ष को खास हक वो हिस्सा में मिला। चाहिए कि सभी पक्ष अपने अपने बंटकर मिले सम्पति को जिस जिस मसरफ में लाना चाहें लावेंगे वो बिक्री करना चाहें वो अपना अपना नाम हर जगह जहाँ जहाँ जरूरी समझेंगे अंचल कार्यालय वो नगर परिषद दानापुर निजामत में दर्ज करा लेवेंगे इसमें किसी भी पक्ष को किसी भी पक्ष से किसी तरह का हक वो दावा दावी बाकी नहीं है ना रहा न होगा।

अतः लेख्यकारीगण ने अपनी-अपनी खुशी वो ख्वाहिश से होश वो हवास में होकर वो रहकर यह वसीका बंटवारा नामा लिख दिया कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे।

दिनांक:-

पंचगण का हस्ताक्षर:-

Ajeet Kr Singh
S/O Late Ram Hellsingh
Hasanganj Digha
Patna
15/08/18

Suresh Prasad Singh
S/O Late Fekai Singh
Kasanjaw Digha Patna
15-8-2018

पक्षकार का हस्ताक्षर:-

15/8/2018

15/8/2018

15-8-2018

15/8/2018
राकेश सिंह
15-8-2018

15-8-2018
अजित प्रताप सिंह

Scanned by CamScanner